तमलिनाडु में 'वंदे मातरम्' अनविार्य

संदर्भ

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक आदेश के तहत तमलिनाडु के शैक्षणकि एवं सरकारी संस्थानों में, कम से कम सप्ताह में एक दनि, राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' का गायन अनविार्य कर दयिा है।

प्रमुख घटनाक्रम

- न्यायालय ने इसके लयि सोमवार या शुक्रवार का दनि सुझाया है । जस्टसि मुरलीधरन ने कहा कि यदि लोगों को यह लगता है कि राष्ट्रगीत को संस्कृत या बंगाली में गाया जाना कठनि है तो वे इसका तमलि में अनुवाद कर सकते हैं।
- न्यायालय ने यह भी सपष्ट कयिा कि यदि किसी को राष्ट्रगीत से किसी तरह की समस्या है, तो उसे राष्ट्रगीत को ज़बरन गाने के लयि बाध्य नहीं कयिा जा सकता है, बशर्ते उसके/उनके पास ऐसा न करने के लयि कोई ठोस कारण हो।

'वंदे मातरम्' से संबंधति कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- इसकी रचना बंकमिचंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1876 में की थी। इसके प्रारंभकि दो पद संस्कृत में, जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में थे। सन 1882 में उन्होंने इसे अपने प्रसद्धि उपन्यास 'आनंद मठ' में सम्मलिति कयिा।
- सन 1896 में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने पहली बार 'वंदेमातरम्' को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ कलकत्ता (अब कोलकाता) के कांग्रेस अधविशन में गाया था।
- 'वंदेमातरम्' का अंग्रेज़ी में अनुवाद सबसे पहले अरवन्दि घोष ने कयिा था।
- सन 1905 में बंग-भंग आन्दोलन के समय इसे राष्ट्रीय गीत का दर्ज़ा प्राप्त हुआ तथा 'वंदेमातरम्' एक लोकप्रयि राष्ट्रीय नारा बना।
- 24 जनवरी, 1950 को संवधिान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार कयिा।

बंकमि चंद्र चट्टोपाध्याय

- बंकमि चंद्र बांग्ला भाषा के एक प्रख्यात कवि एवं उपन्यासकार थे। वे बहुमुखी प्रतभिा के धनी थे। उनका जन्म सन 1838 में एक समृद्ध बंगाली परविार में हुआ था। उनकी पहली कृति 'दुर्गेशनंदनी' थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/vande-mataram-compulsory-in-tamilnadu